रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240143 CG-DL-E-09112022-240143

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4979] No. 4979] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2022

का.आ. 5198(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से NH-34 (108) के कि.मी 86.120 से 29.300 गंगोत्री-धरासू मार्ग. उत्तराखंड राज्य तक के पेव्ड शोल्डर के साथ के भूखण्ड का निर्माण(दो लेन निर्माण, चौडीकरण, सुरंग निर्माण आदि) में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

7406 GI/2022 (1)

# अनुसूची

उत्तराखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH34(108) गंगोत्री-धरासू मार्ग के कि.मी 86.120 से 29.300 पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	
1	अपर जिलाधिकारी। उत्तरकाशी ()	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH34 के कि.मी. 86.12 से 95.287 तक	उत्तराखंड	उत्तर कशी	भटवारी	1       जामक         2       गवाणा         3       सिरोर         4       नेताला         5       हीना         6       गंगोरी	

राजेश गुप्ता, निदेशक

# MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2022

**S.O. 5198(E).**—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land km 86.120 to km 95.287. specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for building (Two laning, Widening and Tunnel Construction etc.) management and operation. on Gangotri to Dharasu Road in upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 86.12 to 95.287 in the State of uttarakhand.

#### **SCHEDULE**

Land acquisition on National Highway No. NH-34(108) Gangotri to Dharasu Road in the State of uttarakhand. on the stretch from 86.120 to km 95.287.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
11 1	Additional District Magistrate.uttarakashi	86.12KM To 95.287KM	UTTARAKHAND	UTTARKASHI	Bhatwari 1	Jamak

[भाग II—खण्ड  3(ii)]		भारत का राजपत्र : असाध		3		
						<u> </u>
						$\overline{}$

							Gawana Siror Naitala Heena Gangori
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------

[F. No. RO/UK/NH-34(108)Gangotri-Barethi/LA/01/2]

RAJESH GUPTA, Director